



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 913]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 8, 2017/कार्तिक 17, 1939

No. 913]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 8, 2017/KARTIKA 17, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2017

**सा.का.नि. 1375(अ).**—केन्द्रीय सरकार, कॉफी अधिनियम 1942 (1942 का 7) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कॉफी बोर्ड (काडर और भर्ती) नियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कॉफी बोर्ड (काडर और भर्ती) संशोधन नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कॉफी बोर्ड (काडर और भर्ती) नियम, 2014 में, अनुसूची के शीर्ष '(i)' "गैर-तकनीकी" प्रशासनिक या अनुसचिवीय पदों, के अधीन क्रम संख्या 2 पर सचिव पद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा।

[फा. सं. 09/2/2016-बागान-ख]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

**टिप्पणी:—** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में अधिसूचना सा.का.नि. 198(अ) तारीख 14 मार्च, 2014 द्वारा तारीख 20 मार्च 2014 को प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार संख्या सा.का.नि. 872(अ), तारीख 8 सितम्बर, 2016 द्वारा संशोधन किया गया था।

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th November, 2017

**G.S.R. 1375(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Coffee Act, 1942 (VII of 1942), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Coffee Board (Cadre and Recruitment) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Coffee Board (Cadre and Recruitment) Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Coffee Board (Cadre and Recruitment) Rules, 2014, in the Schedule, under the heading ‘(i) “Non-Technical” Administrative or Ministerial Posts’, serial number 2 relating to the post of Secretary and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. 09/2/2016-Plant-B]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

**Note:—** The principal rules were published vide number G.S.R.198(E), dated the 14<sup>th</sup> March, 2014 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 20<sup>th</sup> March, 2014 and were last amended vide number G.S.R. 872(E), dated the 8<sup>th</sup> September, 2016.